551

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
<u>मंत्रालय</u>

क्रमांक सी 3–5/2016/1–3 भोपाल, दिनांक 27·07·2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश ।

विषयः– *शासकीय सेवा में भरती हेतु मेन्युअल हिन्दी मुद्रलेखन प्रमाण पत्र के स्थान पर* कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण–पत्र को मान्यता देने तथा कम्प्यूटर डिप्लोमा की सूची में आई.टी.आई. के एक वर्षीय (COPA) पाठ्यक्रमों को शामिल करने बावत्।

संदर्भः– (1) इस विभाग का ज्ञापन कमांक 815/1397/1(3)/72, दिनांक–14.12.1972
(2) इस विभाग का ज्ञापन कमांक सी–3–11/08/3/एक, दिनांक–12.6.2009 एवं ज्ञापन कमांक सी–3–14/1/3/2010, दिनांक–10.09.2010 एवं सी 3–8/2013/1/3, दि0 01 जुलाई 2013.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 01 जुलाई 2013 व्दारा शासकीय सेवाओं में सहायक ग्रेड–3, स्टेनोटायपिस्ट एवं शीघ्रलेखकों के पदों पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर टायपिंग एवं कम्प्युटर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है । उक्त पत्र की कंडिका–2 एवं 3(5) में शासकीय आई0टी0आई0 व्दारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (copa) प्रमाण–पत्र को मान्य किया गया है ।

2/– राज्य शासन व्दारा दिनांक 01.7.2013 को जारी परिपत्र की वर्णित कंडिका 2 एवं 3 (5) में उल्लेखित संस्था के स्थान पर निम्नलिखित संस्था स्थापित की जाती है :–

(5) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (N.C.V.T) नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (S.C.V.T) मध्यप्रदेश व्दारा प्रदत्त एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण–पत्र ।

(3) परिपत्र दिनांक 01–7–2013 में शेष यथावत ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(सी0 बी0 पडवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग